जनपद हमीरपुर

प्रेस नोट–थाना सुमेरपुर **दिनांक 25.04.2026**

थाना सुमेरपुर पुलिस टीम व एस0ओ0जी/ सर्विलांस टीम के संयुक्त प्रयास से दिनांक 21.04.2026 को हुए अज्ञात महिला हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए मु0अ0सं0- 137/2026 धारा- 103(1)/238 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त की मय वाहन के साथ गिरफ्तारी के सम्बन्ध में-

घटना का विवरण-

दिनांक 21.04.2026 को थाना सुमेरपुर क्षेत्र अंतर्गत एनएच-34 के किनारे एक अज्ञात महिला का शव प्राप्त होने की सूचना पर थाना सुमेरपुर पुलिस मौके पर पहुंची व फील्ड यूनिट टीम के द्वारा आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रयास किए गये। थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी हाऊस हमीरपुर में शव को सुरक्षित रखवाया गया। उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर, घटना के सफल तथा शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

पुलिस कार्यवाही-

मृतका के पति शिवमंगल पुत्र मौजीलाल निवासी विनगवां, सेन पश्चिम पारा दक्षिणी, कानपुर नगर द्वारा अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त अपनी पत्नी पूजा (उम्र लगभग 28 वर्ष) के रूप में की गई। तत्पश्चात दिनांक 23.04.2026 को वादी शिवमंगल उपरोक्त से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 137/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर ट्रक वाहन संख्या UP78DT8815 संदिग्ध पाया गया। इसके उपरांत उक्त महिला का शव बरामद हुआ। वाहन स्वामी से वार्ता के दौरान आरोपी वाहन चालक की पहचान महेन्द्र कुमार पाल पुत्र रामसेवक पाल निवासी भीतरगांव, थाना साढ़, कमिश्नरेट कानपुर नगर (दक्षिण) के रूप में की गई। उक्त अभियुक्त के फोटो की शिनाख्त ढाबा स्वामी द्वारा भी की गई। विवेचना के क्रम में पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 25.04.2026 को समय करीब 04:55 बजे प्रातः अभियुक्त महेन्द्र कुमार पाल पुत्र रामसेवक पाल निवासी भीतरगांव, थाना साढ़, जनपद कमिश्नरेट कानपुर नगर को इटरा मोड़, थाना सुमेरपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह मृतका पूजा (उम्र लगभग 28 वर्ष) को पहले से जानता था। दिनांक 21.04.2026 को वह रूमा, कानपुर नगर से ट्रक में माल लादकर जबलपुर के लिए निकला था एवं रास्ते में मृतका को ट्रक में बैठाकर अपने साथ ले जा रहा था। रास्ते में दोनों, खाना खाने के लिए शिवानी ढाबा सुमेरपुर पर रुके, जहां भोजन करने के दौरान दोनों के बीच वाद-विवाद होने लगा। कुछ समय बाद दोनों पुनः गाड़ी में बैठकर चल दिए। आगे चलकर कुछ दूरी पर लीड़ा नाले के पास गाड़ी रोकी गाडीं में ही उन दोनों के बीच वाद-विवाद इतना बढ़ गया कि उसने शराब के नशे में मृतका के गले में पड़े दुपट्टे को कस दिया। अभियुक्त के अनुसार, उसने मृतका को मृत समझकर गाड़ी से नीचे फेंक दिया और वहां से गाड़ी लेकर चला गया। आगे पहुंचने पर उसे आशंका हुई कि शव पुलिस को मिल गया होगा और वह पकड़ा जाएगा। इसी डर के कारण वह कानपुर वापस लौट रहा था, तभी उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

महेन्द्र कुमार पाल पुत्र रामसेवक पाल (उम्र करीब 34 वर्ष) निवासी भीतर गांव थाना सांड कमिश्नरेट कानपुर नगर (दक्षिण)।

बरामदगी का विवरण-

एक ट्रक (वाहन संख्या UP78DT8815)

गिरफ्तारी का स्थान-

इटरा मोड़ से आगे बहद मौजा सुमेरपुर ।

पुलिस टीम थाना सुमेरपुर-

1. नि0- योगेश तिवारी (प्र0नि0 थाना सुमेरपुर)
2. व0उ0नि0 - दुर्गेश कुमार राय
3. कां0- राहुल कुमार
4. का0 दिलीप कुमार
5. का0 अमित कुमार

एस0ओ0जी0/ सर्विलांस

6. उ0नि0 सचिन शर्मा (एसओजी प्रभारी)
7. का0 अतुल कुमार (एसओजी)
8. का0 सुरेन्द्र मिश्रा (एसओजी)
9. का0 रवि पटेल (सर्विलांस)
10. का0 कृष्ण कुमार गुप्ता (सर्विलांस)